कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

(जिला सामान्य शाखा)

आदेश

श्री नवनीत कुमार, पे0–श्री विष्णुदेव साहु, ग्राम–उत्तरी हाजीपुर, वार्ड नं0–13, थाना–चित्रगुप्त नगर, जिला–खगड़िया द्वारा आवेदन के माध्यम से सूचित किया गया कि उनके द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–30/2008 (खगड़िया थाना) पर धारित शस्त्र (अनुज्ञप्ति पुस्तिका सहित) को अपराधिक तत्वों द्वारा छीन लिया गया, जिसके आलोक में मुंगेर कोतवाली थाना काण्ड संख्या–68/09 दर्ज किया गया है, जो अनुसंधान अन्तर्गत है। लोक अभियोजन, खगड़िया द्वारा भी इस संदर्भ में अपना स्पष्ट मंतव्य दिया गया है।

आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC No. 2113/2018 दायर किया गया।

आवेदक से प्राप्त आवेदन, लोक अभियोजक खगड़िया के मंतव्य एवं आवेदक के सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए शस्त्र अधिनियम 2016 के नियम सुसंगत धाराओं के तहत जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया द्वारा संचिका सं0–IV-16/2014-15 में दिनांक 11.06.2019 को पारित आदेश के आलोक में श्री नवनीत कुमार, पे0–श्री विष्णुदेव साहु, ग्राम–उत्तरी हाजीपुर, वार्ड नं0–13, थाना–चित्रगुप्त नगर, जिला–खगड़िया से शस्त्र अनुज्ञप्ति शुल्क एवं नवीकरण शुल्क जमा कराते हुए शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–30/2008 (खगड़िया थाना) की द्वितीयक प्रति निर्गत करने एवं उक्त अनुज्ञप्ति पर पुनः शस्त्र क्रय करने का आदेश दिया जाता है।

ह0/

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक IV-16/2014-15 400 /**जी0, दिनांक** 18.6.19

प्रतिलिपि : नवनीत कुमार, पे0–श्री विष्णुदेव साहु, ग्राम–उत्तरी हाजीपुर, वार्ड नं0–13, थाना–चित्रगुप्त नगर, जिला–खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, खगड़िया थाना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0प्रबंधक, खगड़िया को बेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया।